

मालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

बनाम

मुकदमा

मु. नं.


वर्ष


नांक	आज्ञा-पत्र	
31/9/19	पक्षावली पेश हुई। उद्योगपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित पक्षावली करते पेश होने इच्छा की संख्या 2 के काम मुकाम तथा तलबी इच्छा की पक्षी तलबी पेश होने के बाद कावच रूप है पेश होने के दिनांक 31/9/19 को पेश हो गई है।	
31/10/19	पक्षावली पेश हुई। उद्योगपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित पक्षावली करते पेश होने काम मुकाम इच्छा की संख्या 1 व 2 के काम मुकाम/तलबी इच्छा की संख्या दिनांक 21/11/19 को पेश हो गई है।	
27/11/19	पक्षावली पेश हुई। उद्योगपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित तलबी/काम मुकाम कावेदन पेश करने के लिए पक्षी प्रार्थना इच्छा करते हैं। उद्योगपक्ष में कवच दिनांक 27/11/19 को पेश हो गई है। तलबी दिनांक 27/11/19 को पेश हो गई है।	नवी चलाना चाहते
29/12/19	पक्षावली आज वकील प्रार्थना व प्रार्थना स्वयं के कावेदन बाबत मिलल तलबी पर पेशी में ली गई। उपस्थित वकील प्रार्थना व प्रार्थना स्वयं ने उपस्थित होकर कावेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। उद्योगपक्ष पक्षावली आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना स्वयं 12 को जाति किया जावे। इसके विवेक पर उपस्थित वकील प्रार्थना व प्रार्थना स्वयं को मुकाम पक्षावली का	सुनीष कंठर [Signature] (गोपाल) (कानूनवादी)



अधिवक्ता अधिकारी  
धोद मु. सीकर

उपरोक्त किताबें कला वकील प्रथीना व प्रथीना एके एकेके  
 केवर के विवेक को स्वीकार कर दृष्टगत प्रथीना पर दस्तावेज  
 को इसी स्तर पर खारिज किने जाने के मांग दिने  
 अतः ही पकावली के सम्बन्धित मूल वाद की वकील वादिका  
 कादिना/प्रथीना एतेके केवल के विवेक पर खारिज कीजा  
 -पुकी ही पकावली को आगे कार्य कार्यवाही कपेकित नहीं  
 ही पकावली केवल शुद्ध होकर वप तकनीक द्वाजिज्जद्वारा  
 हीं

  
**उपरोक्त अधिकारी**  
 एत म सीकर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

